राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16777/2023

जितेंद्र छंगाणी पुत्र राजेंद्र कुमार छंगाणी, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिटीवाड़ा, धानाणियों की गली, जिला नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर, अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नागौर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री सुनील पुरोहित।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री ए.एस. शेखावत,
श्री राजेंद्र प्रसाद, ए.जी.

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

17/12/2024

1. याचिका कर्ता, जो नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए इच्छुक है, इस न्यायालय के समक्ष प्रति वादियों को निर्देश देने की मांग कर रहा है कि उसे उसके दिनांक 29.05.2023 के अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार बोनस अंक प्रदान किए जाएं और परिणामस्वरूप उसका नाम दिनांक 05.05.2023 के विज्ञापन के अनुसार मेरिट सूची में शामिल किया जाए।

2. वर्तमान याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

(30/05/2025 को सुबह 08:48:20 बजे डाउनलोड किया गया)

2.1. नर्सिंग अधिकारियों के कुल 6981 पद विज्ञापित किए गए थे, जिनमें से 1260 अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। याचिका कर्ता ने अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पूरी करने के बाद, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से बी.एससी. (नर्सिंग) की डिग्री प्राप्त की, जो जीएनएम पाठ्यक्रम के समकक्ष है। इसके बाद, याचिका कर्ता ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण संख्या 62834 के तहत पंजीकरण कराया। पंजीकरण प्रमाणपत्र शुरू में 31.12.2016 तक वैध था और 17.06.2022 को नवीनीकृत किया गया था, जो 31.12.2026 तक वैध है।

2.2. याचिका कर्ता नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और उसने सामान्य (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत 04.06.2023 को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.3. इस भर्ती के लिए चयन मानदंड उम्मीदवार के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर आधारित है, और शैक्षणिक योग्यता के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है। अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं में अनुभव के आधार पर बोनस अंक भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, उम्मीदवार को 10 बोनस अंक दिए जाएँगे, और 3 पूर्ण वर्षों के लिए अधिकतम 30 बोनस अंक दिए जाएँगे।

2.4. याचिका कर्ता ने सीनियर सेकेंडरी में 65.54% और बी.एससी. (नर्सिंग) में 75.22% अंक प्राप्त किए, जिससे औसत 70.38% रहा। चयन मानदंडों के अनुसार, शैक्षणिक अंकों को 70% वेटेज दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक अंकों से 49.26 अंक प्राप्त होते हैं। कार्य अनुभव के लिए 30 बोनस अंकों के साथ, याचिका कर्ता के कुल अंक 79.270 हैं। इसके आधार पर, याचिका कर्ता का नाम 29.08.2023 को जारी दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए

(30/05/2025 को सुबह 08:48:20 बजे डाउनलोड किया गया)

उम्मीदवारों की सूची में क्रम संख्या 3412 पर 79.270 अंकों के साथ दिखाई दिया। याचिका कर्ता 04.09.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ।

2.5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने दिनांक 29.05.2023 को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया, जिस पर संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अजमेर जोन द्वारा दिनांक 03.06.2023 को प्रति हस्ताक्षर किया गया तथा याचिका कर्ता को यह दिनांक 04.06.2023 को प्राप्त हुआ, जिसे विधिवत प्रस्तुत किया गया।

2.6. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के बाद, याचिका कर्ता को नर्सिंग अधिकारी के रूप में चयन की पूरी उम्मीद थी। हालाँकि, 07.10.2023 को जारी अनंतिम मेरिट सूची में उसका नाम शामिल नहीं था, जबकि सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उसके अंक अधिक थे।

2.7. याचिका कर्ता ने तुरंत 08.10.2023 को ऑनलाइन पोर्टल पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनंतिम मेरिट सूची में अपना नाम शामिल करने का अनुरोध किया गया। पूछताछ करने पर, याचिका कर्ता को मौखिक रूप से बताया गया कि उसका अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है, इसलिए उसे बोनस अंक नहीं दिए जाएँगे। इसके बाद याचिका कर्ता ने 11.10.2023 को पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नागौर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सही प्रारूप में नया अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया।

2.8 प्रासंगिक रूप से, अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में, प्रतिवादी प्राधिकारियों ने आवश्यक प्रापक को स्पष्ट करते हुए कई परिपत्र/आदेश जारी किए हैं, जिनमें 25.04.2023 को जारी एक परिपत्र और 04.05.2023 को जारी एक अन्य परिपत्र शामिल है, जिसमें प्राधिकारियों को निर्धारित प्रापक में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।

2.9. अतः यह रिट याचिका.

(30/05/2025 को सुबह 08:48:20 बजे डाउनलोड किया गया)

3. उत्तर में प्रति वादियों द्वारा अपनाया गया रुख *अन्य बातों के अलावा* इस प्रकार है:

3.1. विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि (यानी, 05.05.2023) और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (यानी, 11.06.2023) के बीच निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जाएगा। उम्मीदवार के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह माना जाएगा कि उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए अनुभव प्रमाण पत्र से पूरी तरह संतुष्ट है। ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर, बोनस अंक देने या न देने का निर्णय दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान लिया जाता है। उम्मीदवारों को 21.06.2023 से 28.06.2023 तक अपने आवेदन पत्र में किसी भी गलती को सुधारने की भी अनुमति थी।

3.2. याचिका कर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रमाण पत्र प्रति वादियों द्वारा अपेक्षित निर्धारित प्रारूप में नहीं है। इसके आलोक में, याचिका कर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से गलत और निराधार है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी तर्क सुने हैं।

5. सबसे पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान इसी प्रकार के एक विवाद की ओर आकर्षित किया है, जिस पर जयपुर स्थित इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा **सुहाना बानो बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10518/2024,** दिनांक 12.07.2024 के विस्तृत आदेश/निर्णय के माध्यम से पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। इससे संबंधित प्रासंगिक तथ्य, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

(30/05/2025 को सुबह 08:48:20 बजे डाउनलोड किया गया)

"8. प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाई गई एकमात्र आपत्ति यह है कि याचिका कर्ता के पहले दो अनुभव प्रमाणपत्रों में कुल मिलाकर 8 कॉलम हैं, जैसा कि विज्ञापन के परिशिष्ट-ए में परिभाषित किया गया है, जबकि याचिका कर्ता के तीसरे अनुभव प्रमाणपत्र में परिशिष्ट-ए के आदेश के अनुसार 8 वां कॉलम नहीं है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिका कर्ता के तीसरे अनुभव प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया गया और अधिकारियों द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। इस न्यायालय को प्रति वादियों के वकील द्वारा उठाई गई दलीलों में कोई सार नहीं लगता है, क्योंकि तीनों अनुभव प्रमाणपत्रों की वास्तविकता और शुद्धता पर संदेह और विवाद नहीं है, क्योंकि तीनों अनुभव प्रमाणपत्र एक ही प्राधिकारी और एक ही व्यक्ति यानी प्रधान चिकित्सा अधिकारी, अलवर द्वारा जारी किए गए हैं, और इसलिए, याचिका कर्ता के तीसरे प्रमाणपत्र की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, जब तक कि रिकॉर्ड पर यह तथ्य स्थापित न हो जाए कि याचिका कर्ता का तीसरा प्रमाणपत्र गलत बयान या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। परिशिष्ट-ए की आवश्यकता के अनुसार, 8 वें कॉलम में दिए गए निर्णय। कविता पंवार और संतोष चौधरी के मामले में प्रति वादियों के वकील द्वारा दिए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उन मामलों में विज्ञापन/नियमों के तहत निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, लेकिन इस मामले में, याचिका कर्ता के तीनों अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए गए हैं। इसलिए, इन परिस्थितियों में प्रति वादियों की आपत्तिजनक

(30/05/2025 को सुबह 08:48:20 बजे डाउनलोड किया गया)

कार्रवाई कानून की नज़र में कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है और यह निंदनीय है।

6. याचिका की दलीलों और उसके साथ संलग्न रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिका कर्ता का मामला समान स्तर पर है, वास्तव में, मेरा मानना है कि वह इससे भी बेहतर स्थिति में है।

7. न्यायालय के एक प्रश्न के उत्तर में, प्रति वादियों के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि कॉलम संख्या 8 में दी गई जानकारी, जो याचिका कर्ता द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रदान की जानी थी, का उसकी पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

8. इसके अलावा, यह पता चलता है कि उक्त जानकारी प्रति वादियों द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए जाने पर याचिका कर्ता को प्रदान की जा सकती थी, क्योंकि यह कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान याचिका कर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि से संबंधित है।

9. जैसा भी हो, यह पहले ही देखा जा चुका है कि उक्त जानकारी का याचिका कर्ता की पात्रता पर कोई असर नहीं था, उसका मामला उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिका कर्ता को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाए।

10. परिणामस्वरूप, याचिका कर्ता द्वारा दायर याचिका स्वीकार की जाती है। प्रति वादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका कर्ता की उम्मीदवारी पर उसके कार्य-निष्पादन और योग्यता सूची में उसके स्थान के अनुसार विचार करें, उसके कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार करें और उसके अनुसार उसे बोनस अंक प्रदान करें। यदि याचिका कर्ता को अन्यथा सभी पहलुओं से उस पद के लिए उपयुक्त पाया जाता है, जिसे इस न्यायालय के दिनांक 04.11.2023 के एक

(30/05/2025 को सुबह 08:48:20 बजे डाउनलोड किया गया)

समन्वय पीठ द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश द्वारा आरक्षित किया गया था, तो नियुक्ति पत्र जारी करके याचिका कर्ता को पद आवंटित किया जाए।

11. प्रतिवादी गण को इस आदेश की प्रमाणित वेब प्रिंट प्रति के साथ याचिका कर्ता द्वारा उनसे संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही पूरी करनी होगी।

12. लंबित आवेदन (आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

66-सुमित/-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं: हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(30/05/2025 को सुबह 08:48:20 बजे डाउनलोड किया गया)